



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062023-246449
CG-DL-E-10062023-246449

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 141]
No. 141]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2023/ज्येष्ठ 19, 1945
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2023/JYAISHTHA 19, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(आईपीएचडब्ल्यू डिवीजन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2023

विषय : भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए संशोधित कार्यक्रम के अंतर्गत अधिसूचित योजनाओं में संशोधन के लिए अधिसूचना

फा. सं. डब्ल्यू-38/27/2021- आईपीएचडब्ल्यू.—निम्न तालिका संशोधित संदर्भों को सूचीबद्ध करती है:

संदर्भ राजपत्र अधिसूचना		संशोधन
संदर्भ राजपत्र अधिसूचना: सीजी-डीएल-ई-04102022-239339 दिनांक: 04.10.2022 (भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन की स्थापना के लिए संशोधित योजना)	पैराग्राफ 11	हटा दिया गया है।
	पैराग्राफ 13.4	केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवेदकों का अनुमोदन: आवेदनों का आंकलन और मूल्यांकन निरंतर आधार पर व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए आवेदनों को प्रस्तुत करेगा।
संदर्भ राजपत्र अधिसूचना: सीजी-डीएल-ई-06102022-239340 दिनांक:	पैराग्राफ 11	हटा दिया गया है।
	पैराग्राफ 13.4	केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा आवेदकों का अनुमोदन:

04.10.2022 (भारत में डिस्प्ले फैब्स की स्थापना के लिए संशोधित योजना)		आवेदनों का आंकलन और मूल्यांकन निरंतर आधार पर व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए आवेदनों को प्रस्तुत करेगा।
संदर्भ राजपत्र अधिसूचना: सीजी-डीएल-ई-06102022-239341 दिनांक: 04.10.2022 (भारत में कम्पाउंड सेमीकंडक्टर्स / सिलिकॉन फोटोनिक्स / सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर्स फैब एवं सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग एवं पैकेजिंग (एटीएमपी) / आउटसोर्सर्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्ट (ओएसएटी) सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित योजना)।	पैराग्राफ 10.2	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए आवेदनों को प्रस्तुत करेगा।
	पैराग्राफ 10.3	हटा दिया गया है।

अमितेश कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(IPHW Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2023

Subject: Notification for amendment in the schemes notified under the Modified Programme for Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in India

F. No. W-38/27/2021-IPHW.—The following table lists out the references that are amended:

Reference Gazette Notification	Amendments	
Reference Gazette Notification: CG-DL-E-04102022-239339 dated 04.10.2022 (Modified Scheme for setting up of Semiconductor Fabs in India)	Paragraph 11	Stands deleted.
	Paragraph 13.4	Approval of Applicant(s) by Union Cabinet: Applications shall be appraised and evaluated individually on an ongoing basis. The Ministry of Electronics and Information Technology will place the applications for approval of the Union Cabinet.
Reference Gazette Notification: CG-DL-E-06102022-239340 dated 04.10.2022 (Modified Scheme for setting up of Display Fabs in India)	Paragraph 11	Stands deleted.
	Paragraph 13.4	Approval of Applicant(s) by Union Cabinet: Applications shall be appraised and evaluated individually on an ongoing basis. The Ministry of Electronics and Information Technology will place the applications for approval of the Union Cabinet.
Reference Gazette Notification: CG-DL-E-06102022-239341 dated 04.10.2022 (Modified scheme for setting up of Compound Semiconductors / Silicon Photonics / Sensors Fab/Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/ Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) facilities in India).	Paragraph 10.2	The Ministry of Electronics and Information Technology will place the applications for approval of the Union Cabinet.
	Paragraph 10.3	Stands deleted.

AMITESH KUMAR SINHA, Jt. Secy.